रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2000/ज्येष्ठ 1, 1922

No. 284] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2000/JYAISTHA 1, 1922

CENTRAL B... LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2000

सा.का.नि. 472(अ).— जबकि भारत सरकार का यह मत है कि केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के कर्मचारियों .उनके पति/पत्नि तथा ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को जहां तक उनका संबंध शुल्क की अदायगी करने से है, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 5 के प्रावधानों को लागू करने से छूट मिलनी चाहिए ।

और जबकि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक और उचित है !

अब, केन्द्र सरकार, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 की उपधारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के नियमित कर्मचारियों, उनके पति/पत्नियों तथा 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 10 अथवा 20 वर्ष, जैसा भी मामला हो, का 36 पृष्ठ का वैध साधारण पासपोर्ट जारी करने, उसको नवीकृत करने तथा उस पासपोर्ट पर विविध सेवाएं प्रदान करने लिए शुल्क के भुगतान से सबंधित ऐसे प्रावधानों का जहां तक संबंध है,

पासपोर्ट अधिनियम, 1980 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को लागू करने से छूट देती है ।

[फा. सं. VI/401/39/99]

एस. आर. तायल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2000

G.S.R. 472(E).— Whereas the Central Government is of the opinion that employees of the Central Passport Organisation, and spouses and children of such employees should be exempted from the operation of provisions of section 5 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967); in so far as they relate to payment of fees.

And Whereas it is necessary and expedient in the public interest so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 22 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Central Passport Organisation, their spouses and children upto the age of 15 years, from the operation of the provisions of section 5 of the said Act, read with rule 8 of the Passport Rules, 1980 in so far as such provisions relate to the payment of fees for issuing an ordinary 36 page passport to be valid for 10 years or 20 years, as the case may be, and its renewal and for rendering of miscellaneous services on such passport.

[F. No. VI/401/39/99]

S. R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2000

सा.का.नि. 473(अ).—पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15) के खण्ड-24 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियमावली 1980 में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथाः

1. (I) ये नियम पासपोर्ट (संशोधित) नियम, 2000 कहलाएंगे ।
   (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. पासपोर्ट नियमावली 1980 की अनुसूची IV में
   (क) क्र.सं. 29 से 32 के स्थान पर उससे संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाए यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
	बिना बारी के (तत्काल) पासपोर्ट		
29.	आवेदन की तारीख से 10 दिन के भीतर नया बिना बारी के (तत्काल) नया पासपोर्ट जारी करना	1500/- रूपए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुल्क	3750/-रूपए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुल्क
30.	आवेदन की तारीख से ग्यारह से तीस दिनों के भीतर बिना बारी के (तत्काल) नया पासपोर्ट जारी करना	1000/- रूपए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुल्क	2250/- रूपए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुल्क
31.	ऐसे किसी साधारण पासपोर्ट, जो चोरी हो गया हो, खराब हो गया है, नष्ट हो गया हो अथवा कोई ऐसा अन्य कारण हो, के स्थान पर आवेदन की तारीख से दस दिन के भीतर बिना बारी के (तत्काल) दूसरा पासपोर्ट जारी करना	2500/- रूपए यथा लागू दूसरा पासपोर्ट बनवाने का शुल्क	यथा लागू दूसरा पासपोर्ट बनवाने के शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क नहीं

32.	ऐसे किसी साधारण पासपोर्ट जो चोरी हो गया हो, खराब हो गया हो नष्ट हो गया हो, अथवा कोई अन्य ऐसा कारण हो, के स्थान पर आवेदन की तारीख से ग्यारह से पैंतीस दिनों के भीतर बिना बारी के (तत्काल) दूसरा पासपोर्ट जारी	1500/- रूपए जमा लागू दूसरा पासपोर्ट बनवाने का शुल्क	यथा लागू दूसरा पासपोर्ट बनवाने के शुल्क के कोई अन्य शुल्क नहीं ।
33.	दस वर्ष/बीस वर्ष की वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः पासपोर्ट जारी करने वाल ऐसे सभी मामलों में जहाँ पासपोर्ट आवदेन की तारीख से दस दिनों के भीतर बिना बारी के (तत्काल) जारी किया जाना हो ।	1500/- रूपए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुल्क	3750/- रूपए जमा लागू पासपोर्ट शुल्क
34.	दस वर्ष/बीस वर्ष की वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः पासपोर्ट जारी करने वाले सभी मामलों में जहाँ पासपोर्ट आवेदन जमा करने की तारीख से ग्यारह से पैंतीस दिनों के भीतर जारी किया जाना हो ।	1000/- रूपए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुल्क	कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं
35.	अतिरिक्त पुस्तिका जारी करने के संबंधी सभी मामलों में आवेदन जमा करने की तारीख से दस दिनों के भीतर बिना बारी के (तत्काल) पासपोर्ट पुस्तिका जारी करना ।	1500/- रूपए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुल्क	कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

(ख) टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

" टिप्पणी :- निम्नलिखित मामलों में क्रम सं. 29,30,31,32,33,34, और 35 के अन्तर्गत शामिल बिना बारी के (तत्काल) पासपोर्ट प्रदान करने के लिए यथा लागू केवल पासपोर्ट शुल्क देय होगा यथा:-

(i) आवेदक को विशिष्ट चिकित्सा तथा परामर्श के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई हो ।

(ii) परिचर (केवल एक) जो ऊपर (I) में वर्णित आवेदक के साथ जाएगा ।

(iii) आवेदक के पति/पत्नी/पिता, माता, बच्चे, बच्चे की पत्नी/पति, पौज, पौत्री, भाई अथवा उसकी पत्नी, बहन अथवा उसके पति की विदेश में मृत्यु हो जाने के मामले में । और

(iv) छात्र आवेदक के मामले में, जिसे किसी विदेशी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए परीक्षा देने के लिए अथवा अध्ययन हेतु विदेश जाने के लिए पासपोर्ट अपेक्षित हो, बशर्ते उसके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय 2000/-रूपए से कम हो ।

(v) सभी राजनयिक /आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए जो अपने राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट के स्थान पर साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन करते हैं ।

[फा. सं. VI/401/38/98]

एम. आर. तायल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

टिप्पणी.— मूल नियमावली अधिसूचना सं. जी एस आर 657 (ई) दिनांक 11 दिसम्बर 1980 (1980 विदेश) भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (I) के अन्तर्गत प्रकाशित तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित :-

1. अधिसूचना सं. जी एस आर 50 (ई) दिनांक 7.2.80
2. अधिसूचना सं. जी एस आर 469 (ई) दिनांक 24.6.82
3. अधिसूचना सं. जी एस आर 325 (ई) दिनांक 12.4.83
4. अधिसूचना सं. जी एस आर 494 (ई) दिनांक 16.6.83
5. अधिसूचना सं. जी एस आर 345 (ई) दिनांक 29.3.85
6. अधिसूचना सं. जी एस आर 860 (ई) दिनांक 1.11.85
7. अधि[illegible] सं जी एस आर 1155 (ई) दिनांक 21.11.88
8. अधिसूचना [illegible] एस आर 100 (ई) दिनांक 4.3.91
9. अधिसूचना सं. जी एस आर 503 (ई) दिनांक 10.7.93
10. अधिसूचना सं. जी एस आर 6[illegible]2 (ई) दिनांक 27.6.90
11. अधिसूचना सं. जी एस आर 605 (ई) दिनांक 5.10.98
12. अधिसूचना सं. जी एस आर 516 (ई) दिनांक 8.7.99
13. अधिसूचना सं. जी एस आर 827 (ई) दिनांक 29.12.99
14. अधिसूचना सं. जी एस आर 34 (ई) दिनांक 12.1.2000

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2000

G.S.R. 473(E).— In exercise of the power conferred by section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules. 1980, namely:-

1. (1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule IV to the Passport Rules, 1980.

(a) for serial number 29 to 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

1	2	3	4
Out of turn (Tatkaal) Passport			
29.	Issue of fresh out of turn (Tatkaal)Passports within ten days of the date of application.	Rs. 1500/- plus the passport fee as applicable	Rs. 3750/- plus the passport fee as applicable
30.	Issue of fresh out of turn (Tatkaal) Passports between eleven to thirty five days of the date of application.	Rs. 1000/- plus the passport fee as applicable	Rs. 2250/- plus the passport fee as applicable
31.	Issue of duplicate out of turn (Tatkaal) Passport within ten days of the date of application in lieu of an ordinary	Rs. 2500/- plus the duplicate passport fee as applicable	No fee in addition to the duplicate passport fee as applicable

	passport where it has been stolen, damaged, destroyed or for any other such reasons.		
32.	Issue of duplicate out of turn (Tatkaal) Passport between 11 to 35 days of the date of application in lieu of an ordinary passport where it has been stolen, damaged, destroyed or for any other such reasons.	Rs. 1500/- plus the duplicate passport fee as applicable	No fee in addition to the duplicate passport fee as applicable
33.	In all re-issue cases after expiry of ten/twenty years' validity, where passport is to be re-issued out of turn (Tatkaal)within ten days of the date of application	Rs. 1500/- plus the passport fee as applicable	Rs. 3750/- plus the passport fee as applicable
34.	In all re-issue cases after expiry of ten/twenty years' validity, where passport is to be re-issued out of turn (Tatkaal) between 11 to 35 days of the date of application	Rs. 1000/- plus the passport fee as applicable	No additional fee
35.	In all cases of additional booklet to be issued out of turn (Tatkaal)within ten days of the date of application	Rs. 1500/- plus the passport fee as applicable	No additional fee

(b) for the note, the following note shall be substituted namely:-

"Note : Only passport fee as applicable would be payable for grant of an out-of-turn Tatkaal passport covered under serial Nos. 29,30,31 32,33,34 and 35 in the following cases, namely :-

(i) The applicant has been advised to go abroad for specialised medical treatment and consultation.

(ii) The attendant (one only) who would need to accompany the applicant referred to at (i) above.

(iii) in case of death abroad of spouse, father, mother, child, child's spouse, grand child, brother or his spouse, and sister or her spouse, of the applicant" and

(iv) in the case of a student applicant requiring a passport for appearing in the examination for admission to some foreign educational institution, or for going abroad for studies, provided his/her parents'/guardians' income is less than Rs.2000/- per month."

(v) all diplomatic/official passport holders who apply for an ordinary passport in lieu of their diplomatic/official passport.

[F. No. VI/401/38/98]

S. R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

Note.—Principal rules published vide Notification No. GSR 657 (E) dated December 11, 1980 (1980 external) Part II Section 3, sub-section (I), subsequently amended by :-

1. Notification No. GSR 50 (E) dated 7.02.1980
2. Notification No. GSR 469 (E) dated 24.06.1982
3. Notification No. GSR 325 (E) dated 12.04.1983
4. Notification No. GSR 494 (E) dated 16.06.1983
5. Notification No. GSR 345 (E) dated 29.03.1985
6. Notification No. GSR 860 (E) dated 1.11.1985
7. Notification No. GSR 1155(E) dated 21.11.1988
8. Notification No. GSR 100 (E) dated 4.03.1991
9. Notification No. GSR 503 (E) dated 10.07.1993
10. Notification No. GSR 622 (E) dated 27.06.1990
11. Notification No. GSR 605 (E) dated 5.10.1998
12. Notification No. GSR 516 (E) dated 8.07.1999
13. Notification No. GSR 827 (E) dated 29.12.1999
14. Notification No. GSR 34 (E) dated 12.01.2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.